आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा
भूमि बिक्री अनुमति वाद सं०–90/2021
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत
कुन्ती देवी—विक्रेता
प्रति
श्री मुरारी राम —क्रेता

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका/विक्रेता कुन्ती देवी, पति–स्व० सुरेश राम, ग्राम–रंका, पोस्ट–रंका, थाना–रंका, जिला–गढ़वा के द्वारा ग्राम–रंका खुर्द के पुराना खाता सं०–18, नया खाता सं०–56, पुराना प्लॉट सं०–110, नया प्लॉट सं०–294, रकबा–$0.64\frac{3}{8}$ एकड़ भूमि को क्रेता श्री मुरारी राम, पिता–श्री प्रगास राम, ग्राम–रंका खुर्द, पोस्ट–रंका राज, थाना–रंका, जिला–गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, रंका से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, रंका के पत्रांक 310/दिनांक 23.07.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार के तामिला प्रतिवेदन के साथ प्राप्त हुआ, एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

अंचल अधिकारी, रंका ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम–रंका खुर्द के पुराना खाता सं०–18, नया खाता सं०–56, पुराना प्लॉट सं०–110, नया प्लॉट सं०–294, में रकबा–$0.39\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि रैयति खाते की है जिसका जमाबंदी आवेदक (विक्रेता) के पिता स्व० नान्हु राम के नाम से चलता है, इस प्रकार उक्त प्लॉट में $0.39\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि ही बचत है। अंचल अधिकारी, रंका के द्वारा $0.39\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि बिक्री की अनुशंसा की गई है। विक्रेता कुन्ती देवी द्वारा पुनः दिनांक 26.07.2022 को आवेदन दिया गया है कि अंचल अधिकारी, रंका के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर पुराना खाता सं०–18, नया खाता सं०–56, पुराना प्लॉट सं०–110, नया प्लॉट सं०–294, रकबा–$0.39\frac{1}{2}$ एकड़ भूमि की बिक्री करने की अनुमति दी जाय।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा पुनः दिया गया आवेदन तथा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि के विक्रेता के पिता नान्हु राम के नाम से मांग पंजी II के पुराना पृष्ट सं०–137/1 एवं नया पृष्ट सं० 35/2 पर चलता है। विक्रेता जाति के चन्द्रवंशी कहार (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता चन्द्रवंशी कहार (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदिका/विक्रेता के शांतिपूर्ण दखल–कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू–हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः अंचल अधिकारी, रंका के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदिका/विक्रेता कुन्ती देवी, पति–स्व० सुरेश राम, ग्राम–रंका, पोस्ट–रंका, थाना–रंका, जिला–गढ़वा ने क्रेता श्री मुरारी राम, पिता–श्री प्रगास राम, ग्राम–रंका खुर्द, पोस्ट–रंका राज, थाना–रंका, जिला–गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की बिक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत बिक्री हेतु हस्तनान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरणः–

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
रंका खुर्द	75	पुराना–18 नया–56	पुराना–110 नया–294	$0.39\frac{1}{2}$	उ०–रोड, द०–रामजी राम वगैरह, पू०–गिरजा राम वगैरह दो निज क्रेता, प०–निज क्रेता ,
			कुल रकबा:–	$0.39\frac{1}{2}$	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर)
अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा

(हस्ताक्षर)
अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2022.12.05 16:22:53 +05:30
Location: 192.168.36.160

Scanned with CamScanner